संख्या 3106/ब्यूरो–79-31 (114)/74

प्रेषक,

श्री सुमन कुमार माडवेल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्योगों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण।

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 24 अगस्त, 1979

विषयः– सार्वजनिक उद्योगों/निगमों के मुख्य कार्यकारियों के अतिरिक्त, अन्य अधिकारियों द्वारा कम्पनी स्टाफ कार का निजी प्रयोग।

महोदय,

मुझे आपसे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि कतिपय सार्वजनिक उद्योगों के सुझाव पर शासन के समक्ष कुछ समय से यह प्रश्न विचाराधीन था कि राज्य के सार्वजनिक उद्योगों के मुख्य कार्यकारियों के अतिरिक्त, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी, उद्योगों के पूल के मोटर गाड़ियों के निजी प्रयोग की अनुमति प्रदान की जानी चाहिये अथवा नहीं। सम्यक् विचारोपरान्त शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक उद्योगों/निगमों के मुख्य कार्यकारियों के अतिरिक्त, उद्योग के किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को पूल की मोटर गाड़ियों आदि के निजी प्रयोग की अनुमति फिलहाल प्रदान न की जाय।

भवदीय,
सुमन कुमार माडवेल
सचिव।

संख्या 3106 (1) ब्यूरो/79/31 (114)/74, तद्दिनांक

उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सार्वजनिक उद्योगों/निगमों से सम्बन्धित शासन के सचिवगण/विशेष सचिव
(2) सचिवालय के सम्बन्धित अनुभाग।
(3) सचिव, उ० प्र० डेवलपमेंट सिस्टम् कारपोरेशन लिमिटेड को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि शासनादेश संख्या 51–ब्यूरो/79-31 (114) 74, दिनांक 16 जनवरी, 1979 में निहित प्राविधानों को अब निरस्त माना जाय।
(4) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
भक्तिदेव मुकर्जी,
उप– सचिव।